(4) चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती हैं ; और

(5) गन्ने से चीनी की उपलब्धि ।

(ख) सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है । गन्ने का मूल्य गुड़, खंडसारी और चीनी के उत्पादन के लिए इसकी मांग सम्बन्धी सामान्य नियम से शामित होता है ।

12.02 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED KILLING OF SANTHALS BY LAND OWNERS IN PURNEA DISTRICT OF BIHAR

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृहमंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसके ऊपर एक वक्तव्य दें :

"बिहार के पूर्णिया जिले में 22 नवम्बर, 1971 को भू-स्वामियों द्वारा 14 संथाल मारे जाने और 36 संथाल घायल किये जाने के समाचार।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K.C. PANT) : On the 22nd November ghastly and tragic incident occured in village Rupaspur, Police Station Dhamdaba, District Purnea in Bihar. Information so far available with the State Government indcates that a piot land had been cultivated by one Kandan Murnu of Santhal Tola. At about 3-30 p.m. on 22nd Nevember, a mob of about 150 armed with bows, arrows bhalas, garasas etc. Came to the plot and began cutiing ripe paddy. Some of them were keeping guard. When a few Santhals who lived close by opproached the plot in dispute, they were chased away by the mob. The mob than came over to the Santhal Total and was joined by another mob armed with guns and accompained by tractors, trailers and station wagon. The two moos surrounded the Santhal Tola, locked the houses from outside and set fire to them. In all 45 houses were burnt. Those who tried to escape were shot at. Injuries were also inflicted by garasas and other weapons. Some of the dead bodies of those who were killed were whisked away in tractors. So far four bodies have been recovered from houses and 10 from the Kosi river bed. Report have so far been received about injuries to 33 who are stated to be receiving medical treatment. Criminal case has been registered and 10 persons have so far been arrested. Warrants and processes under Criminal Procedure Code have been taken out against the absconding accused and investigations are in progress. The C.M., Bihar visited the village on receipt of information regarding these incidents. Senior Polic officers are camping in the area and necessary measures have been taken to maintain peace and prevent any recrudecence of trouble. The Deputy Supdt. of Police and the Block Development Officer concerned have been suspeoded for negligence. A sum of Rs. 3000/- has been distributed as immediate relief to the affected villagers. The Government of India are keeping in close touch with the State Government and will provide whatever assistance may be required by the Government of Bihar in taking action according to law against the persons responsible for the commission of these heinous offences.

अध्यक्ष महोदय : जो पिछला फैसला था कि कालिंग अटेंशन में केवल तीन सदस्यों को प्रश्न करने का मौका दिया जाय वह फैसला अभी मैं लागू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन दिलाया गया था कि माननीय सदस्य थोड़ा टाइम लेंगे और अभी यही फैसला रहेगा कि जो माननीय सदस्य पहले बोलेंगे वह पांच मिनट लेंगे और बाकी दूसरे केवल प्रश्नोत्तर तक ही सीमित रहेंगे। उससे ज्यादा वह नहीं जाएंगे । अगर इस ढंग से कार्य होगा तो तीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर तो जरूरत पड़ ही

[अध्यक्ष महोदय]

जायगी। मुझे यकीन दिलाया गया था कि इस पर अमल किया जायगा। इसलिए अभी यही फैसला चलेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्णिया जिले में 22 नवम्बर को जो दुखद घटना हुई है वह निश्चित तौर पर हमारे देश में जो भूमि-संबंधी नीति रही है और भूमि सुधार की ओर जो उपेक्षा प्रान्तीय सरकारों द्वारा बरती गई है उसका परिणाम है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में पिछली बहुत-सी घोषणाओं के बाद, नारेबाजी के बाद और आश्वासनों के बाद भी प्रान्तीय सरकारों ने भूमि सुधार के मामले में कुछ नहीं किया। बिहार इस मामले में और प्रान्तों से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस सारी स्थिति में इस देश में जो कुछ पूर्णिया में हुआ ऐसी घटनायें बिहार में ही नहीं देश के अनेक भागों में हुई हैं और होती रही हैं बावजूद इसके कि केन्द्रीय सरकार और प्रधानमंत्री इस बात को चाहती हैं कि भूमि सुधार तेजी से लागू हो, कुछ राज्य सरकारों में बैठे हुए वेस्टेड इन्टेरेस्ट बराबर इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह के कानून को अमली जामा न पहनाया जाय। इस स्थिति का निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। भूमि सुधार की असफलता इस बात से सिद्ध होती है कि जितनी भूमि अब तक सीलिंग के जरिए से ली गई है वह केवल मात्र 20 लाख एकड़ है जो कि सारी खेती योग्य भूमि के आधा परसेंट से थोड़ा ही अधिक है। इस स्थिति पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रान्तीय सरकारों के नाम पर उनके अधिकार क्षेत्र के नाम पर इस सवाल को टाला नहीं जा सकता क्योंकि यह सवाल देश के लाखों और करोड़ों लोगों का नहीं बल्कि देश के आम लोगों से संबंधित है। मैं इस सवाल के संदर्भ में जो मूल सवाल पैदा होता है उसकी ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की अधिकांश भूमि जिन हाथों में पड़ी हुई है उसको निकालने के लिए ऐसा कानून बनाने के बारे में वह विचार करेंगे ?

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री इस बात को गंभीरता से सोचेंगे कि यह जो भूमि सुधार का कानून है इस के बारे में केन्द्रिय सरकार उचित कदम उठा सके इस के लिए संविधान में संशोधन करें और आश्वासन दें कि जितने लोगों के पास भूमि पड़ी हुई है लाखों बीघा भूमि, उस को उनसे लेकर एक निश्चित अवधि में गरीब लोगों को बाटेंगे। मैं जानता हूं मेरे अपने राज्य में हजारों नहीं लाखों एकड़ भूमि राजाओं के पास पड़ी हुई है और इस देश के हजारों गरीब लोग आज दिल्ली में और दिल्ली के आस पास के क्षेत्र में भूमि के आभाव में मजदूरी करने के लिए आते हैं। इस समस्या का समाधान करने लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। तो मैं मांग करता हूं गृह मंत्री से कि क्या वह ऐसा आश्वासन सदन को देंगें।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि भूमि सुधार के मामले में जहां एक और उपेक्षा हुई है वहां जो फालतू सरकारी भूमि है वह बड़े राज नेताओं ने और बड़े-बड़े अधिकारियों ने बड़े तादाद में हड़प ली है। मैं चाहता हूं कि ऐसी भूमि उन लोगों से लेकर गरीबों को बांटी जाय। इस लिए क्या गृह मंत्री इस बात का अश्वासन देंगे कि इस तरह का कमीशन नियुक्त करेंगे जो इसकी जांच करेगा और जांच करके ऐसी सभी भूमि को वापस गरीबों को दिलवाने के लिये कार्यवाही करेगा।

तीसरी बात—आप तीन हजार रुपया सहायता के रूप में संथाल लोगों को देने की बात कही है। 14 आदमी मारे गये—आप की

रिपोर्ट के अनुसार, 39 घायल हो गये, कुछ मकान जल गये, इस सबको देखते हुए तीन हजार रुपया बिलकुल ना काफी है, बल्कि यों कहना चाहिये कि जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। इस लिये मैं मांग करता हूं कि उन सभी लोगों को जिनके परिवार के लोग मारे गये हैं या जिनका नुकसान हुआ है, उदको काफी तादाद में सहायता देंगे, क्योंकि वे सब हरिजन और पिछड़े हुए लोग हैं। उनकी हालत पर क्या आप दया करेंगे—यह तीसरा आश्वासन चाहता हूं।

मैं गृह मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिले। लेकिन जैसी रिपोर्ट अखबारों में आ रही हैं, उनसे जाहिर होता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस का लाभ उठाना चाहती हैं और लाभ उठा कर कुछ ऐसे लोगों को जो इस में बिलकुल शामिल नहीं हैं, फंसाने की चेष्टा कर रही हैं। इस लिए मैं मांग करता हूं कि क्या आप देखेंगे कि निर्दोष व्यक्ति इसमें शामिल न हों, लेकिन कोई भी दोषी व्यक्ति दण्ड से वंचित न रहे, इसकी भी क्या आप व्यवस्था करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत :—भूमि सुधार के सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वह गृह मंत्रालय के विषय तो नहीं है, लेकिन केन्द्रिय सरकार अवश्य इस सम्बन्ध में स्वयं क्रियाशील है, सक्रिय है और माननीय सदस्य ने खुद भी कहा है कि प्रधान मंत्री के स्तर पर भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये हैं। इस सिलसिले में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया गया और आज भी केन्द्रीय सरकार इस पर जोर दे रही है कि भूमि सुधार सारे देश में जल्द से जल्द हो। एक केन्द्रीय समिति बनी थी, उसने कुछ सिफारिशें भी की हैं। इस लिए जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, जो कुछ इसमें हो सकता है, वह किया जा रहा है। इस से और अधिक ब्यौरे की बात जानना चाहें तो कृषि मंत्रालय और अधिक ब्यौरे में बतला सकता हूं लेकिन केन्द्रीय सरकार का जो नजरिया है, वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

जहां तक तीन हजार रुपया सहायता देने का प्रश्न है, इसके लिये राज्य सरकार को फैसला करना होगा और मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां पहुंच गये हैं, उन्होंने खुद इस को देखा है मुझे विश्वास है कि वह वहां की स्थिति को देखते हुए जो ठीक समझेंगे वह सहायता देंगे।

निर्दोष और दोषी व्यक्तियों के सम्बन्ध में आपने प्रश्न उठाया। राज्य सरकार इस पर तहकीकात कर रही है और मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो कुछ सहायता वह केन्द्र से मांगेंगे, इस सम्बन्ध में, कि दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जाय और उन पर कार्यवाही की जाय, सी. बी. आई. की सहायता या दूसरी तरह की सहायता, वह हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने स्पष्ट पूछा था कि क्या संविधान संशोधन करेंगे...

MR. SPEAKER : He says, Government is aware of it. How can he announced it.

श्री नवल किशोर शर्मा : वह यह तो कहें कि गवर्नमेंन्ट इस पर विचार करेगी।

श्री रामावतार शास्त्री पटना : यह इस वक्तव्य में स्पष्ट है कि कितना भारी अत्याचार संथाल किसानों के साथ किया गया और यह पहला सबूत नहीं हैं, पिछले तीन-चार महीनों में इस तरह की दर्जनों घटनायें घटी हैं, जहां जमीदारों के गुण्डों ने किसानों को और बटाईदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया है, उनकी फसलों को लूटा है। इस बयान में यह बिलकुल स्पष्ट नहीं किया गया है, कि धान किन लोगों ने काटा। केवल यह कह कर छोड़ दिया गया है कि कुछ लोग धान काटने गये। वे कौन लोग थे; मैं इस बात को जानना चाहता हूं? संथाल लोग, जिनका जमीन पर सिकमी और खतियानी अधिकार हैं, वे काटने गये थे

[श्री रामावतार शास्त्री]

या जमींदार के लोग गये थे, आप इस बात को कहने से क्यों झिझकते हैं ? आपको स्पष्ट कहना चाहिये कि जमींदार के लोग धान काटने गये थे। इस बात को छिपाने की कोशिश आप क्यों करते हैं ? यह घटना ता० 22 नवम्बर की है। वहां उसके एक हफ्ता या 10 दिन पहले आप के एस० डी० ओ० और ए0डी0ओ0 वहां जा कर दोनों पक्षों में समझौता करा आये थे कि जिन लोगों ने ज़मीन में धान रोपा है, यानी संथाल किसानों ने, वही उसको काटेंगे, दूसरे लोग खेत पर नहीं जायेंगे। उसके बावजूद यह वहसियाना आक्रमण किया गया। जिस डी0 एस० पी० को आपने सस्पेण्ड किया है, वह जमींदारों के खानदान से सम्बन्धित हैं। वहां के इंस्पेक्टर के साथ इन लोगों के षड़यन्त्र से यह सारी कार्यवाही की गई। दो तीन दिन पहले यानी ता० 19 को वहां पुलिस भेजी गई जिसे मर्डर के दो दिन पहले वहां से विदड्रा कर लिया गया। इस का मतलब हैं कि उन लोगों को इस प्रकार की नादिरशाही कार्यवाही करने की हरी-झण्डी दिखला दी गई। मैं यह बात भी बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इस मौब को लीड कर रहे थे विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के भतीजे और उनके लड़के श्री प्रदुमनसिंह को गिरफ्तार किया गया था. सी. आर. पी. सी. की दफा 302 और 307 में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह सुनकर कि आपके दरोगा ने उन्हें बेल दे दी। क्या 302 औन 307में दरोगा को बैल देने का अधिकार है ? लेकिन उसको बेल दीगई। इससे यह स्पष्ट है कि इस तरह का जो वाहीयाशाही जुल्म संथाल किसानों के साथ हुआ, ऐसा जुल्म शायद ही कहीं पहले हुआ हो, खास कर उन गरीब किसानों के साथ जिनका उस ज़मीन पर अधिकार था। यह सारा जुल्म पुलिस के मेल से किया गया। बिहार में इस तरह की घटनायें आम तौर से रोज ही हो रही हैं और सरकार के अधिकारी जमींदारों की मदद खुलकर कर रहे हैं। वहां सरकार बड़े लोगों की मदद कर रही है और किसानों को दबा रही है, यही वजह है कि अब तक वहां के मुख्य मंत्री ने इस के विरोध में कोई बयान तक नहीं दिया है। अगर बयान दिया है तो बतलाइये कि इस बर्बरता का कन्डेमनेशन करते हुए उन्होंने कोनसा बयान दिया है। वे वहां गये जरुर हैं, लेकिन लूटने वालों और हमला करने वालों से उनकी दोस्ती है, सम्पर्क है, सुधांशु जी और दूसरे लोगों का उन पर दबाव है। अखबारों की खबर का खंडन करते हुए यह बयान जरुर दिया है कि कोई जूडिशियल एनक्वायरी का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है।

यह प्रश्न भूमि सुधार से सम्बन्धित है और बिहार टेनेन्सी एक्ट की धारा 71 के मुताविक जमीन को जोतने या उस पर जोतने का अधिकार बटाईदार को है, जमीदार को नही है। लेकिन ज़मीदार खुले आम बिहार के अन्दर, चाहे पूर्णिया जिला हो, सहरसा हो, मुजफ्फरपुर हो, सारन हो, पटना हो, दरभंगा हो, सब जगह इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। यह पहली घटना नहीं है, मेरे पास दर्जनों सुबूत हैं। आज गरीबी हटाने की बात कही जा रही है, समाजवाद की बात कही जा रही है, गरीबों को ज़मीन देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके विरुद्ध एक षडयन्त्र चल रहा है और सरकार की पूरी नीति इसके लिए जवाब देह है। जब तक बिहार सरकार की प्रो-लैण्डलार्ड नीति बदली नहीं जायगी, इस सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार नही बनाई जायगी, तब तक किसानों के हकों की रक्षा नहीं होगी। अतः जरूरत आ गई है कि इस सरकार को रिकांस्टीट्यूट किया जाये। मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान से काम नहीं चलेगा।...(व्यवधान)...

मैं जानना चाहता हूं कि जब बी.टी ऐक्टके सेक्शनं 71 का जमींदारों ने उल्लघंन किया तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? आप ने कहा कि केवल दस आदमियों को पकड़ा गया है पर मालूम नही जमींदार हैं या अन्य। तो इस ऐक्ट का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ

आप कौन सी कार्यवाही करने का विचार रखते हैं क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है।

दूसरे—क्या यह बात सच है कि जिस डी. एस. पी. का ट्रान्सफर किया गया है उसका ट्रांसफर पहले कर्पूरी ठाकुर की सरकार में किया गया था, लेकिन उसके ट्रांसफर के दस दिन के बाद ही इस सरकार ने उसको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पुन: बुलवा लिया ? यदि यह बात सच है तो इसकी पूरी इनक्वारी करवाकर क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार है।

तीसरे—आपने इंसपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है जिसे रात ही घटना की खबर की गई, लोगों ने जाकर बताया लेकिन वह दूसरे दिन आता है तो क्या आप इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

चौथे—दफा 302 और 307 में मुजरिम पकड़े गये लेकिन उनको रिहा कर दिया गया जबकि थाने के लिए ऐसा करना अधिकार के बाहर था। तो उसका क्या औचित्य है ? इस तरह के अफसरों के विरुद्ध जो जबाब देह हैं ? कौन सी कार्यवाही आप करना चाहते हैं ?

पांचवे—आपने कहा कि बिहार सरकार इन तमाम बातों की जांच कर रही है। लेकिन बिहार सरकार की प्रो-लैंडलार्ड और रिएक्शनरी पालिसीज़ को देखते हुए हमें उस पर विश्वास नहीं है। इस लिए क्या आप पार्लमेंट के मेम्बरों की कोई जांच समिति नियुक्त करेंगे ताकि सही मानों में इस हत्याकांड की सही बातें इस सदन को, बिहार की जानता को और पूरे देश को मालूम हो सकें ? जहां पर किसानों के 45 घर जलाये गए हैं, अब कोई भी घर बाकी नहीं है। अभी राज्य सभा के सदस्य श्री भोला प्रसाद ने वहां से आकर बताया है कि वहां पर किसानों की अब कोई चीज़ नहीं है। घर बनाने के लिए तीन हज़ार रुपयों से क्या होगा ? आपने 45 परिवारों के घर बनाने के लिए कोई विशेष सहायता देने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

आखिरी बात यह है कि जो घायल लोग पूर्णिया और धमदाता अस्पताल में हैं उन में एक तीन साल का बच्चा भी है जिसको गोली लगी है और आप जानते हैं कि अस्पतालों में दवा दारु का क्या प्रबन्ध होता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों की विशेष चिकित्सा और स्वास्थ्य-प्रद भोजन के लिए क्या आप अलग से व्यवस्था करेंगे ? क्या उन तीन हज़ार रुपयों के अलावा आप और अधिक राशि देने के लिए तैयार हैं ?

और सब से जरुरी बात, जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा है, आप जमीदारों के खिलाफ तथा भूमि सुधार के लिए कोई कानुन बनाइये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस लिए क्या आप जल्द से जल्द भूमि हद बंदी (लैंड सीलिंग) कानून का मसविदा सदन के सामने पेश करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष जी, आम तौर पर यह प्रश्न राज्य सरकार का है क्योंकि यह प्रश्न ला ऐंड आर्डर का है। बहुत सी ब्योरे की जो बातें माननीय सदस्य ने पूछी हैं ये इस ला एँड आर्डर के पहलू से संबधित है। आम तौर पर यह चीजें जबकि राज्य सरकार वहां मौजुद है, वहा पर प्रेसीडेन्ट रूल नहीं है, राज्य सरकार की जवाबदेही की बातें हैं और इसके सम्बन्ध में वहां असेम्बली में प्रश्न किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में मेरे पास जितनी सूचना थी वह सारी सूचना मैंने सदन के सामने रखदी है। यह जो हादसा हुआ है वह बहुत ही निन्दनीय है और जैसा मैंने कहा घेस्टली और ट्रैजिक इंसीडेंट हैं और जितनी सूचना थी वह मैंने रख दी है।

माननीय सदस्य ने कार्यवाही करने की बात कही और उन्होंने डी. एस. पीं. के ट्रांसफर की बात कही तो डी० एस० पी० का ट्रान्सफर नहीं बल्कि उसका सस्पेशन हुआ है।... (व्यवधान)... मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार डी० एस० पी० सस्पेन्ड हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने तो पुरानी बात कही थी।...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER : He is not in a position to say. These matters relate to the State Government. He has said so.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इसी तरह से उन्होंने कहा कि इन्सपेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। इन्सपेक्टर की सूचना तो मेरे पास नहीं लेकिन जो सूचना मेरे पास है उसमें यह जरुर है कि डी० एस० पी० के पास रात को सूचना गई और वे वी० डी० ओ० को लेकर करीब करीब मिडनाइट में यानी रात के 12 बजे वहां पहुंचे और फिर सबेरे सवा पांच बजे वहां पहुंचे...

श्री रामावतार शास्त्री : यह गलत सूचना है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बहरहाल यही सूचना मेरे पास आई है।

SHRI HARIKISHORE SINGH (Pupri) : Sir, a big tragedy has taken place in the District of Purnea. While I share the sentiments and support the demand of Shri Ramavatar Shastri for sending a Parliamentary Committee from here, I very strongly deplore his mentioning the name of Dr. L. N. Suddansu who or whose family has nothing to do with this land dispute.

श्री रामावतार शास्त्री : उनके भतीजे ने लीड किया है। आप इंक्वायरी बिठाइये तो सच्चाई मालूम हो जायगी।

SHRI HARI KISHORE SINGH : The two are separate.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : It will be proved. His son was arrested.

SHRI HARI KISHORE SINGH : Those two are separate. If his family is partitioned and somebody is living separately, how can we involve him ? He is great man and his name is great. But because you can make some political capital out of it, therefore you have mentioned his name.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : He was present in the village also. In his presence it happened.

SHRI HARI KISHORE SINGH : We know that he was in the village but we know of his health also. Please do not mention his name. You are not going to make any political capital out of it; it is the Socialist Party which is doing it and getting it.

It is not only in Purnea District but throughout the whole northern belt of Bihar that this agrarian problem has been very much aggravated and the Bihar Government is not able to cope up with the situation. Not only in Purnea but in my own area also some landholders-- I do not call them zamindars--were shot dead by some people against whom the police is proceeding. Three young brothers were shot dead; their poor mother and father were wounded and they are lying in the hospital in Sitamarhi in Muzaffarpur District. In Darbhanga the same things are taking place. So, I would request the Minister to take note of this that throughout the northern belt of Bihar law and order is deteriorating and unsocial elements are trying to exploit the situation.

This situation has been created specially since 1967 when the party to which Shastriji belongs came to power and failed to fulfil the promises which they had made to the people during elections. This tragedy has arisen out of the fact that the promises made by the political parties have not been fulfilled.

Now I would like to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that every year in the last few years during the harvesting season occurrences of this kind take place specially in Purnea, Darbhanga and Muzaffarpur Districts, and what preventive measures the Government took in this area.

I would also like to know whether it is a fact that Shri Ram Adhar Singh on whose land this ugly incident took place informed the police earlier about the intending trouble and, if so, what measures the police took to prevent the incident. Further, I want to know whether this land was not a disputed land, that it was previously an aerodrome which was later on taken into cultivation by landlords. I should also like to know whether this ugly incident took place at the instigation of the Socialist party workers, specially, the local M.L.A. of Socialist party, Shri Kalika Singh.

I want to know whether the local police in order to cover its incompetence is trying to implicate others who were not involved in the dispute and who were far away from the scene of occurrence in Patna and other places. I know the names and if the hon, Minister would like to know I would give him the names.

These are a few questions I had to put to the hon. Minister. Lastly and most humbly, I would like to submit to the hon. Minister that this kind of agitation is taking place throughout Bihar and in other parts of the country also. May I know whether the Central Government--I do not know whether he is in a position to answer this question or not--would take immediate steps to formulate a uniform land policy and implement it quickly so that these kind of incidents do not take place and the House is not faced with this situation and the face of the country is not tarnished by the occurrence of such tragic incidents.

SHRI K. C. PANT : I agree with my hon, friend and it has been said earlier by Shri Sharma and others also that we should not lose this opportunity of relating this incident to the root cause which is insufficient implementation of land reforms measures in Bihar. If this incident, however tragic, however painful, underlines the need to implement these measures quickly and steps are taken to see that on the ground land reforms measures are implemented along the lines suggested by the Central Committee or at least what is already the law of Bihar is implemented on the ground--even that will help to relieve matters--then, I think, some good will come out of this discussion.

I share the feelings of those hon. members who have underlined this point and I do hope that the Bihar Government will take necessary steps. I do not entirely agree with Shri Shastri for his assessment of the Chief Minister of Bihar. My understanding of the Chief Minister, so far as I have been able to meet him and know him, is that he is an honest man who certainly wants to take these steps and who is trying to do his best. This is not a party matter. Almost all parties have had their turn in the Government in Bihar. If today these things still stare us in the face, I do not think we should transfer the back from one to another.

As to whether prior information was given to the police or not; I have no information. Whether it was a disputed land or not, the information is that it was a disputed land. I do not think, whether the land was disputed or not, has anything to do with what happened later on. Nothing can be justified about what happened later on. I think, we should treat it separately from the original dispute, if any.

Then, my hon. friend said that there are certain people who were not present and who are being implicated, may I request him to pass this information to the Bihar Government so that they can take it into account while conducting their investigations.

MR. SPEAKER: May I remind the hon. Members that they should straightway ask questions. There should not be long speeches and introductory remarks along with questions because that takes a long time. I am sure, Mr. Daschowdhury will agree with me and put his question straightway.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar) : The hon. Minister has stated that the entire incident relates to the State Government because of the law and order problem and also the hon. Minister has said that this matter relating to land disputes is within the jurisdiction of the State Government. But I would only ask and like to know from the hon. Minister whether in the Constitution there are certain provisions to safeguard the interests of the weaker sections of the people. I may mention one of such provisions, Art. 46 which says that there shall be no form of exploitation or social injustice done to weaker sections of the people and, in particular, to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Coming to the point, if that be so, what action has so far been taken by the Central Government to see that these provisions enshrined in the Directive Principles of State Policy in our Constitution are strictly implemented by the States ? Looking to the condition of the Scheduled Tribes, here is a case where a few hundreds of poor Scheduled Tribes people, the Santhals who were exploited for ages and ages. My hon. friends stated that the present incident is not alone but there have been a large number of incidents in the course of the last fifteen days beginning with Rupaspur in Purnea district.

[Shri B. K. Daschowdhury]

I do not want to go into the details. Sir, it is well-known that land reform in our country has been quite haphazard and halting and is really stagnating very much for some time, at least, for few years now. Even knowing full-well, what steps the Government have so far taken to avoid such incidents so that there may not be any clashes. If you take the full details and the full account, in the last two or three years, the poorer sections of the community have been subjected to these clashes with large numbers of deaths over disputes either over land tenure or land system or land plicy or in regard to share-croppers by the *Bataidars* in Bihar and the *Jotdars* and its number stands around 500. Five hundred people or so have been murdered and killed by these monied men, big *Jotdars* and landlords. What steps have been taken by the Government ? Only there are some criminal cases, some judicial review here and there and nothing more than that.

I would also like to know from the hon. Minister whether he also agrees that unless these killings and murders, stabbing at the back, gun shot at the back and firing on or locking them inside the house, are totally stopped and these could be stopped only, when the Centre gets the power to legislate and and give proper direction to the State Governments that there should be a uniform land legislation policy throughout the country — the country as a whole will have no escape from revolution led by the so-called Harijans.

Secondly, whatever we have come to know from the press reports, this incident seems to be much more larger and much more ghastly than as described by the hon. Minister. Some one stated that sixteen people died. Some put the number of deaths at 20. Some other hon. Member said that it is 35. But we find from the hon. Ministers statement that the deaths are only four or that at least four dead bodies were recovered from the Kosi. So, there seems to be a large divergence of opinion between what is expressed in the Press and the Government statement. I would request the hon Minister to consider the point and let there be a Parliamentary Committee to go into the detail and report to this Parliament within seven days from now whether, it is like that or not.

SHRI K. C. PANT : My hon. friend has himself pointed out that in the Constitution as it is at present, land is a State subject. Therefore, he says the Constitution should be amended in order to apply a uniform land legislation policy and this suggestion was made by Mr. Sharma also when he put the question.

As to what the Centre has done, we have been promoting land reforms with vigour and with sincerity and apart from that, we have been taking so many measures which the House knows and in which there is no disagreement in the House on the promotion of the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and in protecting their rights.

In this matter sometimes instances like these remind us that in spite of all that we have done, lot more remains to be donie and certain people, at the least instigation, revert to the law of the jungle and take law hnto their own hands and perpetrate such oeinous crimes. There can be condemnation tf such crimes etc. but that only underlines ihe need to keep up pressure so that such ncidents do not take placea nd I may say, I entirely share the indignation of the hon, Member.

So far as the dead are concerned,he said 4 bodies were found in the river. Four were dead in the river bed as reported to us. Four were recovered from the Houses, making a total of 12. This is the report of the State Government. I can give the authoritative information given to me by the Bihar Government. I have given all the facts. I do not know what more a Parliamentary Committee could find out there. In any case, the State Government has been looking into the whole matter and taking necessary steps as symbolised by the Chief Minister's personal visit to the spot and I don't think Parliamentary Committee is necessary.

MR. SPEAKER : Shri Jyotirmoy Bosu—absent.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : पार्लियामेंट्री कमेटी भेजना या न भेजना सदन के अधिकार की बात है, मंत्री महोदय के नहीं। अगर आप चाहे तो भेज सकते हैं, मंत्री महोदय कैसे मना कर सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सवाल मुझ से पूछा गया था, इसलिए मैं ने अपनी राय दी ।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन, : यह राष्ट्रपति की जबाबदारी है ।

12.42 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(ANNUAL REPORT OF A I.I. M.S.)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D.P. CHATTOPADHAYAYA : On behalf of Shri Uma Shankar Dikshit—I beg to lay on the table a copy of the Annual Report of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1970-71, under section 19 of the All India, Institute of Medical Sciences Act, 1956. [*Plabed in Library See. No. LT-1147/71*]

REPORT OF LAW COMMISSION

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H R. GOKHALE) : I beg to lay on the Table a copy of the Forty-sixth Report of the Law Commission on the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971. [*Placed in library. See No. LT-*1148/71]

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF CENTRAL ROAD TRANSPORTS CORPORATION LTD. CALCUTTA ETC.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy each of the following papers (Hindi and Engligh versions under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(a) Review by the Government on the working of the Central Road Transport Corporation Limited, Calcutta, for the year 1969-70.

(b) Annual Report of the Central Road Transport Corporation Limited, Callcutta, for the year 1969-70 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See No. LT—*1149/71.]

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above papers

[*Placed in Library. See. No. LT-*1150/71].

(2) A copy of the Annual Accounts of the Bombay Port Trust for the year 1969-70 (Hindi & English versions) and the Audit Report thereon.

[*Placed in library. See No. LT-*1151/71].

(3) A copy of the Calcutta Tramways Company (Taking over of Management) Amendment Act, 1971 (Hindi and English versions) (President's Act No. 6 of 1971) published in Gazette of India dated the 28th August, 1971, under sub-section (3) of section 3 of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1971. [*Placed in library. See No. LT*—1152/71]

(4) (i) A copy of the Punjab Tourist vehicles (Chandigarh First Amendment) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. 12438-HII (4) 70/29748 in Chandigarh Administration Gazette dated the 9th December, 1970, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification.

[*Placed in Library. See No. LT-*1153/71]

ACCOTNTS OF D.D.A.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL : I beg to lay on the Table a copy of the Certified Accounts of the Delhi Development Authority for the year 1968-69 (Hindi and English versions together with the Audit Report thereon